



Neutral Citation No. – 2026:AHC:55392

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या – 37647 वर्ष 2025

शंकर एवं 4 अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

: सुबोध पाण्डेय

विपक्षीगण के अधिवक्ता

: राम श्याम शंकर पाण्डेय, जी.ए.

न्यायालय संख्या – 80

माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में प्रस्तुत अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. श्री सुबोध पाण्डेय, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. तथा विपक्षी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राम श्याम शंकर पाण्डेय को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को आज के दिन आवेदन के ज्ञापन में आवश्यक संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
4. वर्तमान आवेदन बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत वाद संख्या 2549 वर्ष 2018 (नया), (पुराना संख्या 16080 वर्ष 2017) (श्रीमती सरोज बनाम निहाल सिंह) की संपूर्ण कार्यवाही तथा दिनांक 28.06.2018

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



के संज्ञान आदेश, धारा 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना सिविल लाइंस, जनपद मुरादाबाद, जो विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा पारित किया गया है तथा अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग), न्यायालय संख्या 5, मुरादाबाद के न्यायालय में लंबित है, को दिनांक 08.08.2025 के समझौते के आधार पर निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित पक्षकारों ने अनुरोध किया कि उन्होंने वर्तमान मामले में समझौता कर लिया है तथा अपने मध्य सभी विवादों का निपटारा कर लिया है और अब वे इस मामले को आगे नहीं चलाना चाहते हैं।

6. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि पक्षकारों के मध्य किया गया समझौता शिकायतकर्ता पर किसी प्रकार के दबाव अथवा अनुचित प्रभाव के बिना तथा पक्षकारों की स्वतंत्र इच्छा एवं सहमति से किया गया है।

7. विपक्षी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता उपर्युक्त प्रस्तुतियों का खंडन नहीं कर सके और कहा कि यदि आवेदकगण के विरुद्ध लंबित आक्षेपित कार्यवाही को निरस्त कर दिया जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

8. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 25.09.2025 के आदेश द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय को दोनों पक्षों की उपस्थिति में समझौता विलेख का सत्यापन करने का निर्देश दिया था और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.09.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 09.03.2026 की अपनी सत्यापन आख्या इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

9. अभिलेख के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारों के मध्य हुआ समझौता शिकायतकर्ता-विपक्षी संख्या 2 की स्वतंत्र इच्छा एवं सहमति का परिणाम है तथा इसमें किसी प्रकार का दबाव अथवा अनुचित प्रभाव नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. अतः, यह न्यायालय पाता है कि पक्षकारों के मध्य समझौता हो चुका है, जिसका विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही सत्यापन किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अब इस मामले को आगे जारी रखने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया है।

11. पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर वाद को निरस्त किए जाने के संबंध में विधि सुस्थापित है। उच्चतम न्यायालय ने (1) बी.एस. जोशी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य: (2003) 4 एस.सी.सी. 675; (2) निखिल मर्चेट बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो: (2008) 9 एस.सी.सी. 677; (3) मनोज शर्मा बनाम राज्य एवं अन्य: (2008) 16 एस.सी.सी. 1; (4) जियान सिंह बनाम पंजाब राज्य: (2012) 10 एस.सी.सी. 303; (5) शैफुल्लाह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य: 2013 (83) ए.सी.सी. 278 तथा (6) परबतभाई अहीर उर्फ परबतभाई उर्फ भीमसिनभाई करमूर एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य: (2017) 9 एस.सी.सी. 641 के मामलों में यह प्रतिपादित किया है कि जिन मामलों में पक्षकारों ने अपने विवादों का समाधान कर लिया है, उनमें कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

12. इस विषय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि सुस्थापित की जा चुकी है। वर्तमान मामला इस न्यायालय द्वारा वाद संख्या 2549 वर्ष 2018 (नया), (पुराना संख्या 16080 वर्ष 2017) (श्रीमती सरोज बनाम निहाल सिंह) की संपूर्ण कार्यवाही तथा दिनांक 28.06.2018 के संज्ञान आदेश, धारा 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना सिविल लाइंस, जनपद मुरादाबाद, जो विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा पारित किया गया है तथा अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग), न्यायालय संख्या 5, मुरादाबाद के न्यायालय में लंबित है, को निरस्त करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु उपयुक्त मामला है।

13. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



14. अतः, वाद संख्या 2549 वर्ष 2018 (नया), (पुराना संख्या 16080 वर्ष 2017) (श्रीमती सरोज बनाम निहाल सिंह) की संपूर्ण कार्यवाही तथा दिनांक 28.06.2018 का संज्ञान आदेश, धारा 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना सिविल लाइंस, जनपद मुरादाबाद, जो विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा पारित किया गया है तथा अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग), न्यायालय संख्या 5, मुरादाबाद के न्यायालय में लंबित है, को समझौते की शर्तों के अनुसार एतद्द्वारा **निरस्त** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति चवन प्रकाश)

18 मार्च, 2026

आर.एम.के.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”